फा.सं. 609/98/2015-डीबीके
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर, 2015

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त (सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले सभी)
प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले सभी)
प्रधान आयुक्त/आयुक्त (सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले सभी)

विषय:- प्रति अदायगी की अखिल औद्योगिक दरों तथा अन्य प्रति अदायगी संबंधी परिवर्तनों की बावत।

महोदया/महोदय,

प्रति अदायगी की संशोधित अखिल औद्योगिक दरों (एआईआर) को दिनांक 16.11.2015 की अधिसूचना सं. 110/2015-सीमाशुल्क (गै.टे.) जो दिनांक 23.11.2015 से प्रभावी है, के द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस एआईआर में मोटे तौर पर संगत औसत मान दंडों को ध्यान में रखा गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आदानों की प्रचलित कीमतें, आदान-निर्गत मानक, आदानों की खपत में आयात का हिस्सा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क की दरें, निर्यात माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में आदान सेवाओं के रूप में प्रयुक्त कर योग्य सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवाकर के भार की आढ़त, एचएसडी/ फर्नेस ऑयल पर लगाए गए शुल्क के भार की आढ़त, निर्यात वस्तुओं की कीमत इत्यादि शामिल है।

2. अधिसूचना को बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है तथा परिवर्तनों के ब्यौरे का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया जाये। तथापि, कतिपय परिवर्तनों को नीचे रेखांकित किया गया है -

(क) कई मामलों में मिश्रित दरों को बढ़ाया गया है जैसे कि फरोजन श्रिम्प/झींगा (अध्याय 3,16) सुगन्धित अगरबत्ती (अध्याय 33), तैयार/लाईन वाला चमड़ा (अध्याय 41), चमड़े के हैंड बैग/बटुआ/बैल्ट (अध्याय 42), औद्योगिक दस्ताने (अध्याय 42), कतिपय एमएमएफ यार्न/फेब्रिक (अध्याय 54, 55), कॉटन, वूल तथा लाइक्रा के साथ कॉटन से बने तैयार वस्त्र (अध्याय 61, 62), कॉटन/एमएमएफ से बनी वस्तुएं/ (अध्याय 63), हैंड-टूल्स (अध्याय 82) आदि।

(ख) एकसलिरेट्ड फ्रीज ड्राई (एएफडी) श्रिम्प, लोबस्टर/क्रेब, पास्चाराइल्ड़ डिब्बा बन्द चिल्ड क्रेब मीट (अध्याय 3,16) मछली का तेल (अध्याय 15), फिश मील (अध्याय 23), पोटाशियम क्लोरेट (अध्याय 28), लेदर कारपेट (अध्याय 42), पोलीप्रोपलीन मेट (अध्याय 46), 100 अथवा उससे अधिक काउंट का कॉटन यार्न

(अध्याय 52), बेल्टिंग फेब्रिक (अध्याय 54), फिल्टरेशन फेब्रिक जो पॉलिस्टर फिलामैंट यार्न/पोलाप्रोपलीन फिलामैंट यार्न/पोलीब्यूटेलिन टेरिफलेट की बनी हो (अध्याय 54), मौजूदा एकल प्रविष्टि को तीन श्रेणियों में बॉटते हुए सूट, जैकिट तथा पतलून (अध्याय 61 का 62), अरामिड फाईबर/मोडक्रीलिक फाईबर/कॉटन फाईबर से बने रक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र (अध्याय 62), चाँदी की परत के साथ शीशे की बनी कलात्मक वस्तुएं/हस्तकलाएँ (अध्याय 70), एल्यूनियम कन्डक्टर स्टील रेनफोर्सड़ (अध्याय 76), टरबो चार्जर (अध्याय 84), ट्रैक्टर पार्ट्स (अध्याय 87), कृषि के उद्देश्यार्थ प्रयोग किए जाने वाले स्व:भारित अथवा स्व:अभारित ट्रेलर और अर्ध ट्रेलर (अध्याय 87), पैरों के गार्ड (अध्याय 95) को प्रति अदायगी अनुसूची में अलग प्रविष्टि दी गयी हैं।

(ग) ग्रेनयूलेटिड स्लेग (अध्याय 26) को दर प्रदान किया गया है तथा शीर्ष संख्या 6802 के अधीन टॉईल तथा कलात्मक वस्तुओं आदि की संयोजी सामग्री के विषय में विवरण को दोबारा से लिखा गया है।

(घ) कतिपय उत्पादों जिनके लिए पहले केवल सीमाशुल्क दरें दी गई थी, के संबंध में संमिश्रित दरें दी गई हैं इनमें साईकिल के टायर (अध्याय 40), साईकिल की ट्यूब (अध्याय 40), अन्य वेजिटेबल टेक्सटाईल फाईबर/पेपर यार्न के बुने हुए फेबरिक (अध्याय 53), हैड़ गियर (अध्याय 65), छाता/चलने की डंडी आदि (अध्याय 66), कृत्रिम फूल आदि (अध्याय 67), अकिरलिक कम्बल (अध्याय 63) शामिल है।

(ड.) लोहे तथा स्टील (अध्याय 72, शीर्ष 7207 से आगे), लोहे तथा स्टील की वस्तुएं (अध्याय 73), बेस धातु के टूल तथा पुर्जे (अध्याय 82), स्टील से बनी विविध वस्तुएं (अध्याय 83), मशीनरी तथा आप्लाईसिस (अध्याय 84), विद्युत की मशीनरी (अध्याय 85), रोलिंग स्टॉक (अध्याय 86) तथा यान (अध्याय 89) को कतिपय अपवादों के साथ सीमा शुल्क की बढ़ी हुई 2% दर दी गई हैं ।

(च) लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं (अध्याय 44), पेपियर मशे (अध्याय 48), सिल्क के यार्न/फेबरिक/वस्त्र (अध्याय 50, 61, 62), कतिपय एमएमएफ यार्न/फेब्रिक (अध्याय 54, 55), कार्पेट (अध्याय 57), पीतल की कलात्मक वस्तुएं/मदें (अध्याय 74), खेल की कतिपय वस्तुओं (अध्याय 95) की मिश्रित दरों में कटौती हुई है।

(छ) सोने की ज्वलेरी/वस्तुओं के लिए रू 209.3 प्रति ग्राम तथा चांदी की ज्वलेरी/मदें के लिए रू 2790 प्रति किलोग्राम एआईआर निश्चित की गई है।

(ज) उन मामलों को छोड़कर जहां उच्च दरें देय थी, पिछली डीईपीबी मदों की बकाया दरों को अवशेष दरों के साथ एकरुप किया जा रहा है।

(ञ) प्रतिअदायगी सीमा, जहां कहीं संभव हो, 1.9 प्रतिशत से अधिक दर के साथ दिया गया है (उच्चतम अवशेष दर)। यह उल्लिखित किया जाता है कि, कतिपय निर्यातगत परियोजना के लिए प्रतिअदायगी सीमा को संगत विनिर्दिष्ट टिप्पणियों तथा शर्तों के पूरा होने पर लागू किया गया है तथा यह अन्य मामलों में लागू नहीं होती है।

2. सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्रति अदायगी नियमावली, 1995 को दिनांक 23.11.2015 के प्रभाव से दिनांक 16.11.2015 की अधिसूचना सं. 109/2015-सीमाशुल्क (गै.टे.) द्वारा संशोधित किया गया है। इस अधिसूचना का भी अनुशीलन किया जाये। इन संशोधनों में सर्वप्रथम 'गेंहू' के निर्यातकर्त्ताओं को ब्रांड रेट तंत्र के अंतर्गत लाया गया है। द्वितीय संशोधन का संबंध, ब्रांड दर हेतु दावों के अंतर्गत निर्यात के कतिपय मामलों में अनंतिम प्रतिअदायगी के भुगतान से है। इस समय, इस नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत ब्रांड दर के निर्धारण हेतु दिए पूर्ण आवेदन को निर्यात के पश्चात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय में दायर करना होता है ताकि अनंतिम प्रतिअदायगी पत्र जारी किया जा सके। नियम 7 के उप नियम (3) को संशोधित किया गया है ताकि, केन्द्र सरकार सीमा शुल्क के समुचित अधिकारी द्वारा अनंतिम प्रतिअदायगी के भुगतान हेतु राशि निर्दिष्ट कर सके। दिनांक 16.11.2015 की अधिसूचना संख्या 110/2015-सीमाशुल्क (गै.टे.) (पैरा 3) इस राशि को निर्यात मदों की तदनुरुपी एआईआर के सीमाशुल्क घटक, यदि लागु होती है, के समतुल्य विनिर्दिष्ट करता है जो कि अनुसूची के कॉलम 'ख' हेतु दावे पर लागू होने वाली शर्त के अधीन है। प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत ब्रांड रेट के दावे के अंतर्गत निर्यात हेतु संशोधित प्रक्रिया अनुबंध-1 पर दी गई है। उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत अनंतिम प्रतिअदायगी के रुप में दी गई राशि को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा आगे की अनंतिम प्रतिअदायगी प्रधिकृत करने हेतु संगणित किया जाएगा, जहां कही अपेक्षित हो। दिनांक 11.10.2013 की अनुदेश संख्या 603/01/2011-डीबीके के पैरा 5क-5ग की शर्तों के अनुसार ब्रांड रेट सरलीकरण जारी रहेगा तथा ब्रांड रेट नियत करने हेतु आवेदनों को अंतिम रुप दिए जाने में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

3. किसी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने हेतु आयुक्तों द्वारा यथोचित उद्यम सुनिश्चित किया जाए। संवेदनशील मानदंडों वाले शिपिंग बिलों को निर्यात के समय ही पर्याप्त सावधानी बरतते हुए अंतिम रुप दिया जाए। इसके अतिरिक्त, एआईआर की उच्च मिश्रित दर के दावे के मामले में निर्यात स्तर पर ही 'केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर सुविधा न लेने का प्रमाणपत्र' की उपलब्धता प्रोसेसिंग स्पष्ट रुप से सुनिश्चित करें। शिपिंग बिल में मदों तथा प्रतिअदायगी विवरण में की गई उद्घोषणा में होने वाले अंतर के परिणामस्वरुप अधिक प्रतिअदायगी रोकने हेतु निरंतर जांच की भी आवश्यकता है। इस का भी सुनिश्चियन किया जाए कि निर्यातकर्ता द्वारा, ऐसी कर योग्य सेवाओं जिनका विनिर्माण अथवा निर्यात मदों की प्रोसेसिंग में इन-पुट सेवाओं के रुप में प्रयोग किया गया है, के लिए एआईआर का दावा करते समय, अन्य किसी तंत्र के माध्यम से सेवा कर के रिफंड का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सके।

4. व्यापारियों तथा अधिकारियों के दिशा-निर्देश हेतु उपयुक्त सार्वजनिक नोटिस तथा स्थायी आदेश जारी किए जाए। किसी प्रकार की असंगतता, भूल अथवा कठिनाई को बोर्ड को सूचित किया जाए। किसी विशिष्ट उत्पाद जिसके संबंध में नई प्रतिअदायगी अनुसूची में प्रतिअदायगी सीमा समाप्त होने के परिणामस्वरुप यदि उस उत्पाद की प्रति इकाई सापेक्ष प्रतिअदायगी राशि में बढ़ोतरी हो, तो उसका विवरण भी सूचित किया जाए।

संलग्नक - अनुबंध 1

(राजीव तलवार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुबंध-1

प्रतिअदायगी नियमावली के नियम 7 के तहत ब्रांड दर के लिए दावे के तहत निर्यात के लिए प्रक्रिया

1. ऐसा निर्यातकर्ता जो कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 6 के अंतर्गत ब्रांड दर का दावा करता है, दर्ज किए गए शिपिंग बिल में, प्रतिअदायगी के ब्यौरे के अंतर्गत एक अभिज्ञापक के रूप में "9801" के आंकड़ों की घोषणा करता रहेगा।

2. दिनांक 23.11.2015 को या उसके बाद दर्ज किए गए शिपिंग बिलों के लिए, ऐसा निर्यातकर्ता, जो कि प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत ब्रांड दर का दावा करता है, प्रतिअदायगी के ब्यौरों के अंतर्गत एक अभिज्ञापक के रूप में "9807'' के आंकड़ों की ("9801'' के स्थान पर) घोषणा करेगा। उक्त अभिज्ञापक के तुरंत पश्चात जैसा कि अनुसूची के कॉलम (1) में दर्शाया गया है वस्तुओं की टैरिफ मद संख्या को वर्ण 'ख' के अनुकरण से घोषित किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि "ट्रैक्टर (शीर्ष 8709 के ट्रैक्टरों के अतिरिक्त)'' के नियम 7 के तहत ब्रांड दर के दावे के अंतर्गत निर्यातित किया जाता है तथा एआईआर अनुसूची में इस प्रकार के ट्रैक्टरों के लिए प्रतिअदायगी से संबंधित टैरिफ मद संख्या 8701 है, शिपिंग बिल पर घोषणा "98078701ख'' होनी चाहिए। इसी प्रकार ''बाइसिकल पम्प'' के लिए एआईआर अनूसूची में संबंधित प्रतिअदायगी टैरिफ मद संख्या 841403 है तथा शिपिंग बिल पर घोषणा "9807841403ख'' होगी। इस प्रकार का शिपिंग बिल एआईआर अनुसूची में उक्त घोषित प्रति अदायगी टीआई के लिए, कस्टम घटक (एआईआर अनुसूची का बी कॉलम दर तथा कैप से मिलकर बना है) के समानांतर अनंतिम प्रतिअदायगी राशि के भुगतान के लिए सीमा शुल्क द्वारा तैयारा किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया एआईआर के लिए लागू उन समान शर्तों के साथ है जहां केवल सीमा शुल्क घटक के लिए दावा किया गया है।डीजी (सिस्टम) के द्वारा इडीआई में यथा स्वरुप परिवर्तन किये जा रहे हैं।

3.1 वस्तुओं का निर्यात किए जाने के पश्चात निर्यातक नियम 7 के अंतर्गत ब्रांड दर के निर्धारण के लिए संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। नियम 7 के अंतर्गत ब्रांड दर के निर्धारण के लिए समय पर दर्ज किए गए पूर्ण आवेदन के मामले में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा दिनांक 11.10.2013 की निर्देश सं. 603/01/2011-डीबीके के पैरा 5क-5ख के अन्तर्गत जारी अनंतिम ब्रांड दर के पत्र तथा या अन्तिम ब्रांड दर पत्र के खिलाफ प्रतिअदायगी भुगतान प्रारम्भ हो सकता है तथा यहां उपरोक्त उक्त अनंतिम पहले ही अदा की गई प्रतिअदायगी राशि पर भी विचार किया जाएगा।

3.2 तथापि, नियम 7 के अंतर्गत ब्रांड दर के निर्धारण के लिए, समय पर दर्ज किए गए पूर्ण आवेदन के मामले में यदि सत्यापन के पश्चात ब्रांड दर निवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी अस्वीकृत पत्र तथा सीमा शुल्क कार्यालय के लिए अनुमति में, अनुसूची के साथ शर्तों तथा सभी टिप्पणियों के संबंध में एआईआर अनुसूची के कॉलम 'क' में निर्धारित केप तथा दर के लिए पात्रता के ब्यौरों के बारे में सूचना होनी चाहिए तथा इस आधार पर सीमा शुल्क रिकॉर्डों का नवीकरण करेगा। तथा पहले ही किए गए भुगतान पर विचार करके एआईआर प्रावधानों के संबंध में दावों को अंतिम रूप देगा।

3.3 यह ध्यान देना चाहिए कि केवल पहली प्रतिअदायगी राशि को ईडीआई व्यवस्था में प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 8क के संबंध में वैधता के लिए जांचा जाता है। तथापि, जहां कहीं एआईआर के आधार पर बाद में कोई ईडीआई प्रोसेसिंग है तो इस वैधता को दोबारा संगत टैरिफ मद के कुल प्रतिअदायगी राशि के लिए सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

4. 23.11.2015 से पहले दायर किए गए शिपिंग बिलों के लिए ऐसा निर्यातकर्ता जो कि प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत ब्रांड रेट का दावा करता है, पहले की तरह प्रतिअदायगी ब्यौरों के अंतर्गत शिपिंग बिल में एक अभिज्ञापक के रूप में ''9801'' के आंकड़ों को घोषित कर चुका होगा। इस प्रकार के मामलों में, यदि लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दिनांक 23.11.2015 या इसके बाद है, निर्यातक को संशोधन के लिए एलईओ से पहले, उपरोक्त मद 2 में उल्लिखित पंक्तियों के साथ संशोधन को सुगम बनाया जाएगा। फिर भी, यदि एलईओ 23.11.2015 या इसके बाद बिना इस प्रकार के संशोधन के साथ होता है, तो निर्यात के बंदरगाह पर निर्यातक सहायक/ उप आयुक्त सीमा शुल्क को सूचना प्रदान कर सकता है कि शिपिंग बिल में दर्शाए गए ब्रांड दर के दावे के लिए दावे का विकल्प, प्रतिअदायगी नियम, 1995 के नियम 7 के अंतर्गत अभिप्रेत है तथा शिपिंग बिल में निर्यातित निर्यात वस्तुओं के लिए टैरिफ मद सं. (जैसा कि एआईआर अनुसूची के कॉलम (1) में दिखाया गया है) को भी सूचित कर सकता है तथा सीमा शुल्क घटक के समानांतर अनंतिम प्रतिअदायगी राशि मांग सकता है। सीमा शुल्क राशि की गणना के ब्यौरे के साथ इस सूचना को रिकॉर्ड में प्रवेश करेगा। अनंतिम प्रतिअदायगी राशि के भुगतान को एआईआर प्रतिअदायगी में केवल सीमा शुल्क घटकों के लिए दावा पर लागू शर्तों के अनुसार तैयार किया जाएगा।